बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

संकल्प

विषय :- ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधित एवं पुनरीक्षित सर्वेक्षण के पश्चात् बढ़े हुए बी0पी0एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न का क्रय कर आपूर्ति करने एवं इस पर होने वाले कुल 130.33 (एक सौ तीस करोड़ तैतीस लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार से कुल 65.23 लाख बी0पी0एल0 परिवारों (25,01,000 अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु 35 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से कुल 2.28 लाख मे0 टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है जबकि ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराये गये पारिवारिक सर्वेक्षण के पश्चात् राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या 1,37,37,607 है ।

2. अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है । बढ़े हुए बी0पी0एल0 परिवारों को प्राप्त आवंटन से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा 35 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से प्रति माह आपूर्ति संभव नहीं होने के फलस्वरूप सभी बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के उद्देश्य से प्रति परिवार अनुमान्यता में कमी करते हुए 25 किलोग्राम प्रति परिवार निर्धारित करने एवं खाद्यान्न की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न क्रय कर बी0पी0एल0 परिवारों को आपूर्ति करने का निर्णय विभागीय संकल्प सं0-2264 दिनांक 06.05.2008 द्वारा लिया गया एवं माह जून, 2008 से तदनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है ।

3. अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुल 87,535 मे0 टन एवं बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत भारत सरकार से 36297 मे0टन गेहूँ एवं 104484 मे0टन चावल का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रति परिवार 10 किलोग्राम गेहूँ एवं 15 किलोग्राम चावल की आपूर्ति हेतु बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत 76069 मे0टन गेहूँ एवं 64065 मे0टन चावल कुल 140134 मे0टन मासिक रूप से खाद्यान्न की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है ।

4. बी0पी0एल0 योजना में खाद्यान्न की कमी की पूर्ति बी0पी0एल0 योजना में भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन एवं ए0पी0एल0 योजना का खाद्यान्न बी0पी0एल0 योजना में उपयोग कर किया जाता है । ए0पी0एल0 योजना का खाद्यान्न बी0पी0एल0 योजना में उठाव करने हेतु 80229 मे0टन गेहूँ एवं 111 मे0टन चावल का मासिक आवंटन बिहार

राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को किया गया है । निगम द्वारा बी0पी0एल0 योजना में नियमित मासिक आवंटन एवं इस योजना में भारत सरकार से प्राप्त तदर्थ/अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन के विरूद्ध उठाव के पश्चात् कमी होने पर ए0पी0एल0 योजना से खाद्यान्न का क्रय कर बी0पी0एल0 योजना में आपूर्ति की गई है ।

5. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा विभिन्न माहों में ए0पी0एल0 योजना से क्रय किये गये खाद्यान्न का विवरण उपलब्ध कराया गया है जो एनेक्चर-1 के रूप में संलग्न है । इसके अनुसार ए0पी0एल0 मद से बी0पी0एल0 मद में गेहूँ का आवंटन एवं उठाव का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	माह का नाम	आवंटन (मि0टन)	उठाव (मि0टन)	उठाव (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1	दिसम्बर, 11	25,000.00	15974.56	63.89
2	जनवरी, 12	25,000.00	25384.68	101.53
3	फरवरी, 12	25,000.00	22521.85	90.08
4	मार्च, 12	25,000.00	12364.25	49.45
5	अप्रील/मई,12	7449.89	7349.72	97.99
6	जून/जुलाई,12	14684.71	12548.27	85.45
7	दिसम्बर, 12	25000.00	9850.92	39.4
8	मार्च, 13.	51743	39686.67	76.69
9	दिसम्बर, 13 से जनवरी 14	17762.00	17420.00	98.07
10	अप्रैल 13 से नवम्बर 2013	513884.11	473777.95	92.19
11	फरवरी 14 से मार्च 2014	8881.00	5684.97	64.01

6. ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 योजना के गेहूँ का उपभोक्ता मूल्य निम्नवत् है:-

योजना का नाम	भा0खा0 निगम से निर्गत मूल्य एम0टी0 (रूपये में)	1% अनुमान्य वैट की राशि (रूपये में)	3% अतिरिक्त कर की राशि (रूपये में)
ए0पी0एल0	6100.00	61.00	183.00
बी0पी0एल0	4150.00	41.50	124.50

इस प्रकार ए0पी0एल0 दर पर उठाव कर बी0पी0एल0 परिवारों को गेहूँ के वितरण किये जाने के कारण निगम को 2028/- (दो हजार अठाईस) रूपये मात्र प्रति एम0टी0 के दर पर अन्तर राशि देय है ।

7. विभाग द्वारा ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत आवंटित उक्त खाद्यान्न के विरूद्ध बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा 642563.74 मे0टन गेहूँ का उठाव कर बी0पी0एल0 योजना में आपूर्ति से संबंधित अंतर मूल्य की राशि 1,30,32,83,058.46 रूपये का विपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

8. अतः ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधित एवं पुनरीक्षित सर्वेक्षण के पश्चात् बढ़े हुए बी0पी0एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न का क्रय कर आपूर्ति करने एवं इस मद में अंतर राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को भुगतान हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल-130.33 करोड़ रूपये व्यय का निर्णय लिया गया है ।

9. पूर्व में गैर योजना के अन्तर्गत वार्षिक बजट में ''मुख्य शीर्ष 3456 उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 मांग सं0- 18 उपशीर्ष- 0001 बी0पी0एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति'' के अन्तर्गत राशि का आवंटन प्राप्त होता था किन्तु वित्त विभाग द्वारा इसे गैर योजना से योजना में स्थानान्तरित करने का परामर्श दिया गया है।

10. इस योजना हेतु ''मुख्य शीर्ष 3456- सिविल पूर्ति सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 - उपभोक्ता आर्थिक सहायता, समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष 01 01 - बी0पी0 एल0 परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न आपूर्ति'' में बजट उपबंध कराया जाएगा एवं बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम को भुगतान किया जाएगा ।

11 प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.08.2014 को मद संख्या - 02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । संचिका संख्या- प्र06-विविध-58/2012- 49/टि0 ।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

27/8/14
(बी0 प्रधान)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-58/2012 6945 खाद्य-पटना/दिनांक- 27/8/14
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

27/8/14
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-58/2012 6945 खाद्य-पटना/दिनांक- 27/8/14
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/14
प्रधान सचिव ।

D:\YEARS - 2012\SECTION - 06\APL To BPL.doc

ज्ञापांक- प्र06-विविध-58/2012 खाद्य-पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय /स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

27/8/14

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक -प्र06-विविध-58/2012 6945 खाद्य-पटना/दिनांक- 27/8/14

प्रतिलिपि - बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/अपर सचिव-सह- सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/14

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-58/2012 6945 खाद्य-पटना/दिनांक- 27/8/14

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/14

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-58/2012 6945 खाद्य-पटना/दिनांक- 27/8/14

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई-मेल करने हेत हेतु प्रेषित।

27/8/14

प्रधान सचिव ।